–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर) :–

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 24/2022

उनवान

1. गजानन्द पुत्र लादू जाति ढोली निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद

प्रार्थी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र रामदेव जाति भांबी निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
2. जगदीश पुत्र लादू
3. शान्ति देवी पुत्री लादू जाति ढोली निवासी ग्राम देराठू, नसीराबाद
4. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— प्रतिवादीगण :– 1 जरियें अधिवक्ता श्री धमेन्द्र जैन
2 व 3 अनुपस्थित
4 जरियें राज0 पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गज धारा 212 राज0 काश्त0 अधि0 1955

–: आदेश :– दिंनाक :– 13.09.23

अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 381 रकबा 0.02, 382 रकबा 0.18 व 272 रकबा 0.15 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी की है। उक्त आराजी का आज दिनांक तक विभाजन नही हुआ है। अप्रार्थीगण ने आराजी मुतनाजा के विभाजन से मना कर दिया है तथा प्रार्थी की भूमि को हडपने व अन्यत्र बैचान करने हेतु आमादा है। अतः मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरियें अस्थायी निषेधाज्ञा पांबद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश हुआ। जिसमें अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया की आराजी मुतनाजा का विभाजन हो चुका है जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 के पास खसरा नम्बर 379 व 380 के पश्चिम दिशा की ओर से मेड से 30 फिट छोडकर दक्षिण दिशा में मुख्य सड़क [illegible] संख्या 1 का कब्जा है। उक्त आराजी जवाबकर्ता ने जरियें विक्रय पत्र [illegible] खसरा नम्बर 381 में अप्रार्थी संख्या 1 का 4/33 हिसे के स्थान [illegible] आराजी मुतनाजा पर उभयपक्ष अपने–अपने हिस्से पर काबिज है। अतः प्रार्थना [illegible] है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 प्रकरण मे अनुपस्थित रहे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:36:35 IST
Reason: SelfAttested

—2

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया।

प्रार्थना पत्र में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

1. प्रथम दृष्टया मामला :– पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 381 रकबा 0.02, 382 रकबा 0.18 व 272 रकबा 0.15 की आराजी प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी की है। राजस्व अभिलेख अनुसार उक्त आराजी अविभाजित है। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण उक्त आराजी के रिकार्डेड खातेदार है। प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थीगण उक्त आराजी को बिना विभाजन किये बैचान करने पर आमादा है। आराजी मुतनाजा राजस्व अभिलेख में प्रार्थी व अप्रार्थीगण के अलग–अलग हिस्से में दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा स्वयं का हिस्सा ही बैचान किया जा सकता है। अप्रार्थी संख्या 1 को आराजी मुताजा का बैचान प्रार्थी के पिता द्वारा ही किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी के हिस्से की आराजी का बैचान नही किया जा रकता है। प्रथम दृष्टया मामला सद्भावपूर्वक उठाया गया सारभूत प्रश्न होता है। जिसका गुणावगुण व अन्वेषण के आधार पर विनिश्चय किया जाता है। इसलिये साबित करने का भार प्रार्थी पर है। कि उसके पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नही ? प्रार्थी उक्त प्रकरण अपने पक्ष में सिद्व करने में सफल रहा है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा प्रार्थी अथवा अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। अप्रार्थीगण रेकॉर्डेड खातेदार है किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा मोके पर निर्माण कराया जाता है तो वाद विचाराधीन रहते भूमि की स्थिति में परिवर्तन हो जायेगा। एवं भूमि के विभाजन के समय उक्त निर्माणाधीन स्थल के विभाजन को लेकर अनावश्यक विवाद होगा। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि बिना विभाजन के सहखातेदारी की भूमि पर कोई भी पक्ष निर्माण नहीं करा सकता है। प्रार्थी एवं अप्रार्थी आराजी मुतनाजा के संयुक्त खातेदार है अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को पाबंद नहीं किये जाने से अपूरणीय क्षति की संभावना प्रार्थी के पक्ष में होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को हाने वाली क्षति को ध्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थी सिद्व होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थी के पक्ष में है। तद्नुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थी सिद्व होता है।

आदेश :– अतः ग्राम देराठू के हाल खसरा नम्बर 381 रकबा 0.02, 382 रकबा 0.18 व 272 रकबा 0.15 की आराजी पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"स्वीकार"** किया जाता है तथा अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थाई निषोधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक उक्त आराजी के मौके की यथास्थिति बनायें रखेंगे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:36:35 IST
Reason: SelfAttested